न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 336/2023 निर्णय दिनांक :–08.07.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. पसमा पुत्री रतना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. मदन पुत्र पोखर जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. राजू पुत्र पोखर जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. रामलाल पुत्र पोखर जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0
2. नेहनूलाल पुत्र सुरजमल जांति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. प्रेम पुत्री सुरजमल पत्नि बद्रीलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया हाल निवासी सांखला तहसील टोंक जिला टोंक राज0
4. रंगलाल पुत्र सुरजमल जाति जाट उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

– अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री राजेन्द्र शर्मा
श्री आलोक कुमार शम्र
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी संख्या 3 ता 4
तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 142 खसरा

म्बर 365 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम निवारिया पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोक राज0 मे स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 364 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम निवारिया तहसील देवली में स्थित है एवं आराजी खसरा नम्बर 1584 ग्रेवल सडक है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर ग्रेवल सड़क खसरा नम्बर 1584 से अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 363 एवं 364 के मध्य मे से होकर आते जाते रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 ने उक्त कदीमी रास्ता को बंद कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी भूमि को काश्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये ग्रेवल सड़क खसरा नम्बर 1584 से अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 363 एवं 364 के मध्य मे से होकर 20 फीट चौडा ऱास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 142 खसरा नम्बर 365 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम निवारिया पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोक राज0 पर आने जाने के लिये ग्रेवल सड़क खसरा नम्बर 1584 से अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 363 एवं 364 के मध्य मे से होकर 20 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जिसके तथ्य इस प्रकार है:– प्रार्थी को आराजी में पहुंचने के लिये कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित खसरा नं. 354 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी प्रथम खातेदार नेनूलाल रंगलाल पुत्र प्रेम पुत्री सुरजमल जाति जाट सा. देह खातेदार में से औसत लम्बाई 20 मीटर चोडाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 120 वर्गफीट अर्थात 0.0120 है0 भूमि प्रस्तावित रास्ते की गई है। प्रस्तावित भूमि की डी एल सी दर 398650/– रूपये प्रति हैक्टेयर जिसकी एक गुणा राशि 4784/– दूगनी 9568/– रूपये है। आवेदक की आराजी खसरा नं. 365 खातेदारी भूमि दर्ज है। प्रार्थीगण वन0 363, 364 के मध्य से रास्ता चाहते है किन्तु खसरा नं. 363, 364 दोनों आराजी एक ही खाते में दर्ज होने तथा नक्शे में कदीमी रास्ते की डोटेड लाईन दर्ज होने एवं चाहे गये रास्ते के बजाय खसरा नं. 364 की दक्षिणी मेड पर कम दूरी होने से रास्ता खसरा नं. 364 में से प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से नक्शा देश में दर्शा दिया गया। अप्रार्थी में से उपस्थित रंगलाल ने रास्ता देने से मना किया तथा न ही हस्ताक्षर किये। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड, दीवार इत्यादि नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी अपनी आराजी ख. नं. 365 में पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 1584 रकबा 0.13 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक रिकार्ड दर्ज है, से ख. नं. 363 व 364 के मध्य से रास्ता मांगा है परन्तु तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते लम्बा है तथा तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता लघुतम बताया है। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार नही बताया है। प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं बताई है। अधिवक्ता प्रार्थी ने तहसीलदार देंवली द्वारा प्रस्तावित रास्ते को स्वीकार किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट दिनांक 14.05.24 व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार ग्राम निवारिया के ख. नं. 364 में पहुंचने के लिए ख. नं. 1584 गै. मु. रास्ते से खसरा नम्बर 364 रकबा 0.25 हैक्टेयर में से 6 मीटर चौडाई व 20 मीटर लम्बाई कुल क्षैत्रफल 120 वर्ग मीटर अर्थात 0.0120 है0 के लिए डी. एल. सी दर 398650/– प्रति है0 के अनुसार क्षैत्रफल 120 वर्ग मीटर अर्थात 0.0120 है0 के लिए एक गुना राशि 4784/– रूपये व दुगनी राशि 9568/–रूपये प्रतिकर राशि जमा कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता सिवायचक के रूप में अमल दरामद करने के बाद सम्बन्धित खातेदार को हिस्से अनुसार संदाय करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner